अति तत्काल
स्पीड पोस्ट द्वारा

संख्या-डीओई/आरडीवीसैल/एनजेएनएसएनपी/विविध/2/2019
भारत सरकार
आवासन एवं शहरी कार्य मन्त्रालय
(संपदा निदेशालय)
.....

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक 5 फरवरी,2019

सेवा में,

टाइप-I शेष आबंटी
नेताजी नगर एवं श्रीनिवासपुरी,
नई दिल्ली।

विषय: नेताजी नगर एवं श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली का पुनर्विकास- स्वचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से आबंटियों को टाइप-I मकानों का वैकल्पिक आबंटन।

महोदय,

नेताजी नगर एवं श्रीनिवासपुरी (टाइप-I) के पुनर्विकास के अन्तर्गत आने वाले की सूची को संपदा निदेशालय की वेबसाइट अर्थात **www.estates.gov.in** पर "परिपत्र" अनुशीर्षक के अन्तर्गत डाल दी गई है।

2. इसलिए नेताजी नगर एवं श्रीनिवासपुरी के टाइप-I मकानों का खाली कब्जा एनबीसीसी तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को प्राथमिकता आधार पर सौंपने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि समस्त प्रभावित आबंटियों को निम्नवत निर्धारित शर्तों के अनुसार वैकल्पिक आवास उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है:-

I. नेताजी नगर एवं श्रीनिवासपुरी के आवासियों को सामान्य पूल आवासीय इकाई के समान प्रकार के आवास ही दिए जाएगें क्योंकि इस कॉलोनी तथा पुनर्विकास हेतु चिन्हित अन्य कॉलोनियों के आवासियों को बड़ी संख्या में वैकल्पिक आवास उपलब्ध करवाए जाने हैं।
II. विभागीय पूल के आवासों में मामले में भी समान प्रकार के आवास ही उपलब्ध करवाए जाएगें।
III. आवासियों को आबंटन हेतु उनकी प्राथमिकता देने के लिए तीन महीने का समय देते हुए समस्त आबंटन स्वचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से किए जाएगें, ऐसा न होने की स्थिति में निदेशालय स्वयं ही 14.03.2018 को संपदा निदेशालय की वैबसाईट पर अपलोड की गई व्यापक नीति के अनुसार कम्प्यूटराइज्ड आबंटन के माध्यम से आवासों का आबंटन करेगा। चूंकि आबंटन प्रक्रिया पूर्णत: कम्प्यूटर आधारित है इसलिए किसी विशेष स्थान/फ्लोर हेतु आबंटन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
IV. किए गए आबंटन के लिए एक बार बदली हेतु अनुरोध पर, चाहे वह उपर्युक्त प्रक्रिया अर्थात स्वचालित आबंटन प्रणाली अथवा इलैक्ट्रोनिक प्रणाली से अनुरोध किया गया हो, दिनांक 14.03.2018 की व्यापक नीति के उप-शीर्ष 5, भाग-III में समाहित प्रावधानों के अनुसार ही कड़ाई से विचार किया जाएगा।
V. **इसलिए समस्त आबंटियों से अनुरोध है कि उपर्युक्त IV के संदर्भ में स्वचालित आबंटन प्रणाली में अपनी प्राथमिकता भरने से पूर्व प्रत्यक्ष रूप से खाली आवासों की सभी पहलुओं के संबंध में जाँच कर लें।**

3. सभी प्रभावित आबंटियों से अनुरोध है कि जीपीआरए की वैबसाइट अर्थात **www.gpra.nic.in** पर लॉगिन करते हुए अपने विवरणों की जाँच कर लें तथा यदि कोई कमी पाई जाती है तो ऑनलाईन नया "डीई-2" फार्म भरते हुए अपने विवरण को अद्यतन करें जिसमें विस्तृत सूचना दी जाए जैसे जन्म तिथि, सेवा में आने की तिथि/प्राथमिकता की तिथि, 01-01-2016 तक सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन विवरण, मोबाइल नंबर तथा ई-मेल आईडी जोकि दिनांक 07.03.2019 को शाम 05.00 बजे तक हो जाना चाहिए तथा इसके बाद अपने संबंधित प्रशासनिक कार्यालय/विभाग/मन्त्रालय द्वारा विधिवत रूप से स्वीकृत डीई-2 फार्म प्राप्त करें। इस प्रक्रिया से आबंटी को प्रणाली में

लॉगिन करने में आसानी होगी तथा वह स्वचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से बिडिंग प्रक्रिया में भाग ले सकेगा/सकेगी। पासवर्ड, यदि पहले से नहीं है, उनके पंजीकृत मोबाईल नंबर तथा मेल पर भेज दिया जाएगा जैसाकि डीई-2 फार्म के माध्यम से प्रणाली में उनके द्वारा अद्यतन किया गया है। तथापि जिन आबंटियों के पास पहले की वैध पासवर्ड है, को नया पासवर्ड जारी नहीं किया जाएगा।

4. जब एक बार आबंटियों को पंजीकरण संख्या तथा लॉगिन पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा तो वे उनके अकाउंट को स्वचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से "ऑनलाईन" वैकल्पिक आवास हेतु आबंटन हेतु अपने विकल्प भरने के लिए संचालित कर पाएंगे। बिडिंग प्रक्रिया **मार्च, 2019** से आरंभ होगी तथा **मई, 2019 तक जारी रहेगी** जिसमें यह इन तीन महीनों में प्रत्येक 16 तारीख से 27 तारीख तक जारी रहेगी। आबंटियों को स्वचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक बिडिंग प्रक्रिया में **कम से कम 10 मकानों** के लिए बिडिंग करना वांछनीय होगा। यह भी नोट किया जाए कि जो आबंटी 10 मकानों से कम मकानों में बिडिंग करेंगे/करेगा, वह/वे एएसए के माध्यम से अपनी अंतिम बिडिंग जमा नहीं कर पाएगा/पाएंगे तथा तीनों बिडिंग प्रक्रियाओं के अंत में यह माना जाएगा कि उसने/उन्होंने अपना एक बिडिंग प्रयास पूर्ण कर लिया है।

5. आबंटन प्रक्रिया के पूर्ण होने के उपरांत, वर्तमान आवास का आबंटन निरस्त कर दिया जाएगा तथा मामले को आगे बिना किसी पत्राचार के मुकदमा अनुभाग को नियमानुसार बेदखली कार्रवाई शुरू करने तथा प्रतिपूर्ति की वसूली,यदि कोई है, हेतु भेज दिया जाएगा।

6. शेष आबंटियों के लिए www.gpra.nic.in पर विकल्प स्क्रीन मार्च, 2019 से मई, 2019 तक के महीनों में 16 से 27 तारीख के बीच केवल समान प्रकार के उन आवासों हेतु जिनमें वे/वह वर्तमान में नेताजी नगर तथा श्रीनिवासपुरी रह रहे हैं, उनके विकल्पों का प्रयोग करने उपलब्ध होगी। तथापि, ये बंधन सामान्य बिडिंग जोकि पहले ही जारी है, के उन आबंटियों, यदि वे अन्य प्रकार से पात्र हैं, के लिए नहीं होगा जो टाइप-II के आवासों हेतु बिडिंग कर रहे हैं।

7. वे आंबटी जिन्हें निर्धारित समय में लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड नहीं मिला है अथवा जिन्हें बिडिंग के दौरान किसी प्रकार की समस्या आ रही है, संपदा निदेशालय (आरडीवी अनुभाग) से सभी कार्यदिवसों के दौरान, केवल शुक्रवार को छोड़कर, 9.30 बजे से 12.30 तक अथवा meenakshi.bhardwaj@nic.in पर मेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।

भवदीया,

मीनाक्षी

(मीनाक्षी भारद्वाज)
सहायक निदेशक (आरडीवी)
दूरभाष 23022199/2906

प्रति प्रेषित:-

1. एनआईसी प्रकोष्ठ, संपदा निदेशालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली- वैबसाइट **www.gpra.nic.in** पर अपलोड करने के लिए।
2. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, संपदा निदेशालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली- वैबसाइट **www.estates.gov.in** पर अपलोड करने के लिए।